



2026:AHC:166944

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4381/2026

अनूप कुमार पटेल

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार की ओर से उपस्थित श्री चंद्र कुमार सिंह और श्री राजीव धर द्विवेदी, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. तत्काल जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 533/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), पुलिस स्टेशन- खोडा, जिला- गाजियाबाद, के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.12.2025 को 12:45 बजे आवेदक के खिलाफ दर्ज की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक सूचक का दूसरा पति था और उसने उसके नवजात बच्चे की हत्या की थी, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाया गया पूरा आरोप पूरी तरह से झूठा है।

4. इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि 14.12.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले सूचक द्वारा स्वयं पुलिस को मृतक की मृत्यु की सूचना दी गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी का गला घोट दिया है और उसकी सूचना पर 14.12.2025 को 17:05 बजे पूछताछ की गई थी, लेकिन दो दिनों के बाद 16.12.2025 को उसने झूठे आरोप के आधार पर वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और जांच रिपोर्ट हलफनामे के पृष्ठ-17 पर संलग्न की गई है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया, सूचक की मां के बयान से यह प्रतिबिंबित होता है, आवेदक ने मृतक को मुक्का मारा, जो मुश्किल से डेढ़ साल की थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृतक की मां द्वारा दी गई पहले की जानकारी के आलोक में उसका बयान प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है, मृतक के सिर पर एक घाव था और सिर में चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और यह दर्शाता है, जब सूचक पेशाब के लिए गया तो गलती से मृत जो मुश्किल से डेढ़ साल का था, गिर गया और घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और चूंकि आवेदक उसके सौतेले पिता हैं, इसलिए बाद में वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.12.2025 से यानी पिछले सात महीने से अधिक समय से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने हालांकि जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर तर्क पर विवाद नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. हालांकि, आवेदक सूचक का दूसरा पति है और उसकी पत्नी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, जिसकी उम्र लगभग डेढ़ वर्ष थी, लेकिन दिनांक 14.12.2025 की जांच के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रथम दृष्टया कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है।

11. इसके अलावा, हालांकि, सूचक की मां के अनुसार, उसके आवेदक के सामने मृतक को मुक्का मारा गया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन दिनांक 14.12.2025 की जांच के आलोक में, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से दो दिन पहले की गई थी, इस गवाह का बयान भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है।

12. इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के सिर पर एक घाव था और शव परीक्षण सर्जन के अनुसार इस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सीट और चोट की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की आयु लगभग डेढ़ वर्ष थी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि वास्तव में यह दर्शाता है, मृतक बिस्तर से गिर गया और घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, इस स्तर पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।

13. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.12.2025 से यानी पिछले सात महीने से अधिक समय से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

16. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **अनूप कुमार पटेल** को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति समीर जैन)

05.08.2026

शहरोज़

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”